


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व वाद संख्या 134/2013 (2013/00194) अनवान शेखर बनाम गोपाराम वगैरा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी उसके सम्पर्क में नहीं है तथा उनके द्वारा वादी को सूचित किये जाने के बावजूद वादी वाद की पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो रहा है। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी की ओर से नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया। वादी को रूक रूक कर आवाजे लगाई गयी। परन्तु वादी स्वयं अथवा वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। ऐसी स्थिति में वाद वादी की अनुपस्थिति में वादी का वाद अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी</p>	